99

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 3525/II/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.09.2014 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 22/अ-19/2012-13 अपील

अजुद्धी उर्फ अयोध्याप्रसाद सेन पुत्र श्री कल्लू नापित
निवासी - खरगापुर, तहसील बल्देवगढ़,
जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.) ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

1- रंधीर पुत्र श्री सुका कुशवाहा
2- छत्ता पुत्र श्री सुका कुशवाहा
3- धरमुआ पुत्र श्री सुका कुशवाहा
निवासीगण-खरगापुर, तहसील बल्देवगढ़,
जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.) ----प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश

(आज दिनांक 16./05/2016)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 22/अ-19/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम खरगापुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 3316/1 रकवा 1.400 है0 भूमि अपीलार्थी को वर्ष 1973-74 में पट्टे पर प्राप्त हुयी थी तथा वर्ष 1985 में अपीलार्थी को उक्त भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे। और वह विधि के प्रभाव से भूमि स्वामी हो गया था। उक्त पट्टा दिनांक से लगातार भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी का नाम दर्ज रहा है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि को नाजायज तरीके से हड़प के उद्देश्य से अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न राजस्व का व्यवहार न्यायालयों में वाद दायर किये परन्तु किसी भी प्रकरण में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुयी। इसके पश्चात् प्रत्यर्थीगण द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के समक्ष एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 07.05.2012 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 से अपील निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3- अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर अपीलार्थी अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4- अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रकरण में कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसे अवैध आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि ग्राम खरगापुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 3316/1 रकवा 1.400 है0 का पट्टा अपीलार्थी को वर्ष 1973-74 में दिया गया था। तथा बाद में उसे वर्ष 1985 में भूमि स्वामी अधिकार दिये गये, जिसके पश्चात् निरन्तर उसका नाम उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखो में चला आ रहा है। इसके संबंध में कोई विधिवत् जॉच किये बिना पट्टा निरस्ती का जो आदेश कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि को नाजायज तरीके से हड़पने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयो में विभिन्न प्रकरण दायर किये है किन्तु उन्हे किसी भी प्रकरण में सफलता प्राप्त नहीं हुयी तब इसके बाद उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अपीलार्थी का भूमि आवंटन आदेश अपास्त किया गया, जो विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, अंत में अपील स्वीकार किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रत्यर्थीगण को प्रकरण की सूचना दी गयी थी किन्तु वह सूचना उपराक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आदेश प्राप्त अभिलेखो के आधार पर किया जा रहा है। प्रत्यर्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह आधार लिया था कि तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण की विधिवत् जॉंच की जाकर अपना प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2012 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें

अपीलार्थी के नाम की दर्ज की गयी प्रविष्टी फर्जी मानी गयी थी। तथा उपरोक्त प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज न होना बताया गया है अतः इसी प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा आदेश पारित किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा स्थिर रखा गया है।

6- उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा तहसीलदार के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्वांत लागू होना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्वांत लागू होगा। इस संबंध में 2007(2) एस.सी.सी 181, 2008 (14) एस.सी.सी. 151 तथा ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1216, ए.आई.आर. 1981 एस.सी 136 तथा 2010 आर.एन. 101 में निर्धारित सिद्वांत इस प्रकरण में लागू होते है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की आरे से भूमि स्वामी अधिकारों की मंजूरी का पट्टा दिनांक 30.04.1985 प्रस्तुत किया है जिसमें अजुदी व कल्लू को पट्टा जारी किया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में कल्लू तनय बोरे नाई का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में यह

कहा जाना कि राजस्व अभिलेखों में अजुदी के नाम का उल्लेख नहीं है वास्तविकता से परे है। नामान्तरण पंजी क्रमांक खरगापुर की सूची क्रमांक 56 पर अजुदी व कल्लू के पट्टे का स्पष्ट उल्लेख एवं प्रकरण क्रमांक सहित लिखा है। ऐसी स्थिति में पट्टा नहीं दिये जाने का कोई कारण वर्तमान प्रकरण में नहीं है यदि त्रुटिवंश किन्ही वर्षो के राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख होने से रह गया है तो इसका दोष अपीलार्थीगण पर नहीं लगाया जा सकता बल्कि राजस्व न्यायालयों का कार्य है कि वह राजस्व अभिलेखों को अध्यतन रखे। वर्ष 1979-80 में अपीलार्थीगण का नाम अस्थायी पट्टेदार के रूप में तथा 1974 से 1977-78 तक दर्ज रहा है। इसी प्रविष्टी को आधार मानते हुये तत्कालीन अधिकारी के हस्ताक्षर का अधिकार अभियान के अन्तर्गत अधिपत्य प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रत्यर्थीगण को उपरोक्त भूमि के संबंध में कभी कोई पट्टा जारी नही किया गया है ऐसी स्थिति में उन्हें उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय में वाद क्रमांक 117 ए /99 प्रस्तुत किया था जो आदेश दिनांक 28.07.2000 को निरस्त कर दिया गया है। इसके उपरान्त एक पुनः व्यवहार वाद क्रमांक 152/अ-04 प्रस्तुत किया था। जो आदेश दिनांक 29.08.2005 से साक्ष्य प्रस्तुत न करने के अभाव में निरस्त हुआ है। इस प्रकार व्यवहार न्यायालय के डिक्री ओर आदेश प्रत्यर्थीगण को विरूद्ध है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया था, इसलिये अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अवैध कब्जा पाया गया। तत्पश्चात्

अपीलार्थी द्वारा सहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा वापिसी का आवेदन प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 09.11.1999 से स्वीकार किया जाकर कब्जा वापिस दिलाया गया, जिसके पश्चात् प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ को प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 05.02.2001 से निरस्त हुयी है इस प्रकार राजस्व न्यायालय द्वारा भी प्रत्यर्थीगण को कोई सहायता नहीं दी गयी। उपरोक्त स्थिति पर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित किया गया है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ-19/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 तथा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा विवादित भूमि खसरा क्रमांक 1316 /1 रकवा 1.400 है0 पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर